

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ-250001)

सार्वजनिक सूचना

माननीय उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने आदेश सं०-UPERC/Secy/D(Tariff)Hearing/2020-21-922 दिनांक 02.09.2020 ने उ०प्र०पा०का०लि० के पत्र सं०-427/आर०ए०यू०/एआरआर 2020-21 दिनांक 01.09.2020 द्वारा प्रस्तुत वितरण निगमों हेतु समान दर के अंतर्गत उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब के सरलीकरण प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु चल रही एआरआर/टैरिफ कार्यवाही के भाग के रूप में प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।

मा० आयोग के उक्त आदेश के अनुपालन में उपभोक्ता श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब के सरलीकरण प्रस्ताव में प्रस्तावित परिवर्तन स्टेक होल्डर्स, विद्युत उपभोक्ताओं एवं सामान्य जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् सूचित किये जाते हैं :

उपभोक्ता श्रेणी/उप श्रेणी/स्लैब के प्रस्तावित सरलीकरण का वर्तमान टैरिफ आदेश से तुलनात्मक विवरण

वर्तमान टैरिफ आदेश 2019-20 के अनुसार			उपभोक्ता श्रेणी/उप श्रेणी/स्लैब के प्रस्तावित सरलीकरण के अनुसार (वर्ष 2019-20 के अनुमोदित दर पर आधारित)		
एल०एम०वी०-1	उपभोक्ता श्रेणी/उप श्रेणी/स्लैब/ अनुमोदित टैरिफ (टैरिफ आदेश वि०वा० 2019-20 दिनांक 03.09.2019)		एल०एम०वी०-1	उपभोक्ता श्रेणी/उप श्रेणी/स्लैब/ नई/विलय श्रेणी/उप श्रेणी/स्लैब का संशोधित टैरिफ	
	घरेलू बत्ती, पंखा			घरेलू बत्ती, पंखा	
	क-ग्रामीण आपूर्ति			क-ग्रामीण आपूर्ति	
	(1) लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 कि०वा० एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक			(1) लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 कि०वा० एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 50 प्रति कि०वा० प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज	रु० 50 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज (0-100 यूनिट)	रु० 3.00 प्रति यूनिट		इनर्जी चार्ज (0-100 यूनिट)	रु० 3.00 प्रति यूनिट
	(2) मीटर रहित संयोजन			(2) मीटर रहित संयोजन	
	सभी भार	रु० 500 प्रति कि०वा० प्रति माह		सभी भार	रु० 500 प्रति कि०वा० प्रति माह
	(3) मीटर सहित संयोजन			(3) मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 90 प्रति कि०वा० प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज	रु० 90 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज			इनर्जी चार्ज	
	प्रथम 100 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 3.35 प्रति यूनिट		प्रथम 100 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 3.35 प्रति यूनिट
	101 से 150 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 3.85 प्रति यूनिट		101 से 300 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 4.40 प्रति यूनिट
	151 से 300 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 5.00 प्रति यूनिट		300 यूनिट/प्रति माह तक से अधिक	रु० 5.60 प्रति यूनिट
	301 से 500 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 5.50 प्रति यूनिट			
	500 यूनिट/माह से अधिक	रु० 6.00 प्रति यूनिट			
	ख-सिंगल प्वाइण्ट बल्क लोड			ख-सिंगल प्वाइण्ट बल्क लोड	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 110 प्रति कि०वा० प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज	रु० 110.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रु० 7.00 प्रति यूनिट		इनर्जी चार्ज	रु० 7.00 प्रति यूनिट
	ग-अन्य मीटर सहित संयोजन			ग-अन्य मीटर सहित संयोजन	
	(1) लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 कि०वा० एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक			(1) लाइफ लाइन उपभोक्ता: संविदाभार 1 कि०वा० एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 50 प्रति कि०वा० प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज	रु० 50 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज (0-100 यूनिट)	रु० 3.00 प्रति यूनिट		इनर्जी चार्ज (0-100 यूनिट)	रु० 3.00 प्रति यूनिट
	(2) अन्य मीटर सहित संयोजन (सभी भार के लिए)			(2) अन्य मीटर सहित संयोजन (सभी भार के लिए)	
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 110 प्रति कि०वा० प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज	रु० 110 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज			इनर्जी चार्ज	
	प्रथम 150 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 5.50 प्रति यूनिट		प्रथम 100 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 5.50 प्रति यूनिट
	151 से 300 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 6.00 प्रति यूनिट		101 से 300 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 5.80 प्रति यूनिट
	301 से 500 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 6.50 प्रति यूनिट		300 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 6.65 प्रति यूनिट
	500 यूनिट/प्रति माह से अधिक	रु० 7.00 प्रति यूनिट			
एल०एम०वी०-2	वाणिज्यिक बत्ती, पंखा		एल०एम०वी०-2	वाणिज्यिक बत्ती, पंखा	
	क-ग्रामीण आपूर्ति			क-ग्रामीण आपूर्ति	
	(1) मीटर रहित संयोजन			(1) मीटर सहित संयोजन	समान/खलम
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 1000 प्रति कि०वा० प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज	रु० 110 प्रति कि०वा० प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन			इनर्जी चार्ज	रु० 5.50 प्रति यूनिट
	फिक्स्ड चार्ज	रु० 110 प्रति कि०वा० प्रति माह		इनर्जी चार्ज	
	इनर्जी चार्ज	रु० 5.50 प्रति यूनिट			
	ख-निजी विज्ञापन/साइन बोर्ड/साइन पोस्ट/ग्लो साइन/फ्लेक्स			ख-निजी विज्ञापन/साइन बोर्ड/साइन पोस्ट/ग्लो साइन/फ्लेक्स	
	मीटर सहित संयोजन			यह श्रेणी	
	फिक्स्ड चार्ज	-		उप श्रेणी (ग) के साथ सम्मिलित कर दी गयी।	
	इनर्जी चार्ज	रु० 18.00 प्रति यूनिट			
	न्यूनतम चार्ज	रु० 1800 प्रति कि०वा० प्रति माह			
	ग-अन्य मीटर सहित संयोजन			ग-अन्य मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज			फिक्स्ड चार्ज (4 कि०वा० भार तक)	रु० 360
	2 कि०वा० तक	रु० 330 प्रति कि०वा० प्रति माह		(रु० प्रति कि०वा० प्रति माह)	
	2 से 4 कि०वा० तक	रु० 390 प्रति कि०वा० प्रति माह		इनर्जी चार्ज	
	4 कि०वा० से अधिक	रु० 450 प्रति कि०वा० प्रति माह		100 यूनिट प्रति माह तक	रु० 6.00
	इनर्जी चार्ज			101 से 300 यूनिट/प्रति माह तक	रु० 7.80
	प्रथम 300 यूनिट/माह	रु० 7.50 प्रति यूनिट		300 से अधिक यूनिट/प्रति माह तक	रु० 8.50
				फिक्स्ड चार्ज (4 कि०वा० भार के ऊपर)	रु० 450.0
				(रु० प्रति कि०वा० प्रति माह)	
	300 से 1000 यूनिट/माह	रु० 8.40 प्रति यूनिट		1000 यूनिट/माह तक	रु० 7.80 प्रति यूनिट
	1000 यूनिट/माह से अधिक	रु० 8.75 प्रति यूनिट		1000 यूनिट/माह से अधिक(रु प्रति यूनिट)	रु० 8.75 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रु० 600/कि०वा०/माह (अप्रैल से सितम्बर)		न्यूनतम चार्ज	रु० 600/कि०वा०/माह (अप्रैल से सितम्बर)
		रु० 475/कि०वा०/माह (अक्टूबर से मार्च)			रु० 475/कि०वा०/माह (अक्टूबर से मार्च)

एल0एम0वी0-3	सार्वजनिक प्रकारा		एल0एम0वी0-3	सार्वजनिक प्रकारा	
	(1) मीटर रहित संयोजन			(1) मीटर रहित संयोजन	
	ग्राम पंचायत	₹0 2100 प्रति कि०वा० या भाग पर प्रति माह		ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं नगर निगम (₹0 प्रति कि०वा० प्रति माह)	₹0 3385.00
	नगर पालिका / नगर पंचायत	₹0 3200 प्रति कि०वा० या भाग पर प्रति माह			
	नगर निगम	₹0 4200 प्रति कि०वा० या भाग पर प्रति माह			
	(2) मीटर सहित संयोजन			(2) मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज			फिक्स्ड चार्ज	
	ग्राम पंचायत	₹0 200 प्रति कि०वा० प्रति माह		ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं नगर निगम (₹0 प्रति कि०वा० प्रति माह)	₹0 245.00
	नगर पालिका / नगर पंचायत	₹0 250 प्रति कि०वा० प्रति माह			
	नगर निगम	₹0 250 प्रति कि०वा० प्रति माह			
	इनर्जी चार्ज			इनर्जी चार्ज	
	ग्राम पंचायत	₹0 7.50 प्रति युनिट		ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं नगर निगम (₹0 प्रति युनिट)	₹0 8.35
	नगर पालिका / नगर पंचायत	₹0 8.00 प्रति युनिट			
	नगर निगम	₹0 8.50 प्रति युनिट			
	टार्ईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)			टार्ईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)	
	18:00 से 06:00 बजे तक	0%		18:00 से 06:00 बजे तक	0%
	06:00 से 18:00 बजे तक	(+20%)		06:00 से 18:00 बजे तक	(+20%)
एल0एम0वी0-4	निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएँ		एल0एम0वी0-4	निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएँ	
	अ-सार्वजनिक संस्थाएँ			अ-सार्वजनिक संस्थाएँ	
	फिक्स्ड चार्ज	₹0 300 प्रति कि०वा० प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज (सभी भार) प्रति कि०वा० प्रति माह (₹0 प्रति कि०वा० प्रति माह)	₹0 300
	इनर्जी चार्ज			इनर्जी चार्ज (₹0 प्रति युनिट)	₹0 8.40
	प्रथम 1000 युनिट प्रति माह	₹0 8.25 प्रति युनिट			
	1001-2000 युनिट प्रति माह	₹0 8.50 प्रति युनिट			
	2000 युनिट प्रति माह से अधिक	₹0 8.75 प्रति युनिट			
	ब-निजी संस्थाएँ			ब-निजी संस्थाएँ	
	फिक्स्ड चार्ज			फिक्स्ड चार्ज (सभी भार) प्रति कि०वा० प्रति माह	₹0 375
	3 कि०वा० तक	₹0 350 प्रति कि०वा० प्रति माह			
	3 कि०वा० से अधिक	₹0 400 प्रति कि०वा० प्रति माह			
	इनर्जी चार्ज			इनर्जी चार्ज (₹0 प्रति युनिट)	
	प्रथम 1000 युनिट प्रति माह	₹0 9.00 प्रति युनिट		निजी शिक्षण संस्थाएँ	₹0 8.50
	1000 युनिट प्रति माह से अधिक	₹0 9.30 प्रति युनिट		अन्य निजी संस्थाएँ	₹0 9.50
एल0एम0वी0-5	निजी नलकूप		एल0एम0वी0-5	निजी नलकूप	
	क-ग्रामीण आपूर्ति			क-ग्रामीण आपूर्ति	
	(1) मीटर रहित संयोजन			(1) मीटर रहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	₹0 170 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज	₹0 170 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन			(2) मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	₹0 70 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज	₹0 70 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹0 2.00 प्रति युनिट		इनर्जी चार्ज	₹0 2.00 प्रति युनिट
	न्यूनतम चार्ज	₹0 160 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह		न्यूनतम चार्ज	₹0 160 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
	(3) इनर्जी एफिशियेन्ट पम्प			(3) इनर्जी एफिशियेन्ट पम्प	
	फिक्स्ड चार्ज	₹0 70 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज	₹0 70 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹0 1.65 प्रति युनिट		इनर्जी चार्ज	₹0 1.65 प्रति युनिट
	न्यूनतम चार्ज	₹0 140 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह		न्यूनतम चार्ज	₹0 140 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
	ख-शहरी आपूर्ति			ख-शहरी आपूर्ति	
	फिक्स्ड चार्ज	₹0 130 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज	₹0 130 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹0 6.00 प्रति युनिट		इनर्जी चार्ज	₹0 6.00 प्रति युनिट
	न्यूनतम चार्ज	₹0 215 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह		न्यूनतम चार्ज	₹0 215 प्रति बी०एच०पी० प्रति माह
	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामसभा में स्थित निजी नलकूप उपभोक्ताओं को, जबतक मीटर स्थापित नहीं हो जाता है, न्यूनतम राशि ₹0 170/बीएचपी/माह का भुगतान करना होगा। रेगुलेटरी सरचार्ज, विद्युत कर एवं टैक्सेज इत्यादि अतिरिक्त देय होंगे।			बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामसभा में स्थित निजी नलकूप उपभोक्ताओं को, जबतक मीटर स्थापित नहीं हो जाता है, न्यूनतम राशि ₹0 170/बीएचपी/माह का भुगतान करना होगा। रेगुलेटरी सरचार्ज, विद्युत कर एवं टैक्सेज इत्यादि अतिरिक्त देय होंगे।	
एल0एम0वी0-6	लघु एवं मध्यम उद्योग		एल0एम0वी0-6	लघु एवं मध्यम उद्योग	
	क-शहरी आपूर्ति			क-शहरी आपूर्ति	
	फिक्स्ड चार्ज	₹0 290 प्रति कि०वा० प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज (सभी भार) प्रति कि०वा० प्रति माह (₹0 प्रति कि०वा० प्रति माह)	₹0 290
	इनर्जी चार्ज			इनर्जी चार्ज	
	1000 युनिट/माह तक	₹0 7.30 प्रति युनिट समस्त उपभोग पर		20 कि०लो०वा० भार तक (₹0 प्रति कि०वा० प्रति माह)	₹0 7.35
	2000 युनिट/माह तक	₹0 7.40 प्रति युनिट समस्त उपभोग पर		20 कि०लो०वा० भार से अधिक (₹0 प्रति कि०वा० प्रति माह)	₹0 7.90
	2000 युनिट/माह से अधिक	₹0 7.90 प्रति युनिट समस्त उपभोग पर			
	टार्ईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)			टार्ईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)	
	गर्भियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)			गर्भियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	(-) 15%		05:00 से 11:00 बजे तक	(-) 15%
	11:00 से 17:00 बजे तक	0		11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%		17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	0		23:00 से 05:00 बजे तक	0
	सर्दियों हेतु (अक्टूबर से मार्च)			सर्दियों हेतु (अक्टूबर से मार्च)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	0		05:00 से 11:00 बजे तक	0
	11:00 से 17:00 बजे तक	0		11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%		17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%		23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%

	ख-ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ता	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टीओओडी0 रेट के अनुमत्य। इस श्रेणी में कोई भी टीओओडी0 दर लागू नहीं होगी।		ख-ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ता	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टीओओडी0 रेट के अनुमत्य। इस श्रेणी में कोई भी टीओओडी0 दर लागू नहीं होगी।
एल0एम0वी0-7	जलकल		एल0एम0वी0-7 तथा एल0एम0वी0-8 एवं एल0एम0वी0-8	जलकल, राजकीय नलकूप, पंचायतीराज नलकूप तथा पम्प कैनाल	
	क-शहरी आपूर्ति			क-शहरी आपूर्ति	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 375 प्रति कि0वा0 प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज (रु0 प्रति कि0वा0 प्रति माह)	रु0 375.00
	इनर्जी चार्ज	रु0 8.60 प्रति यूनिट		इनर्जी चार्ज	रु0 8.60
	ख-ग्रामीण आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमत्य।		ख-ग्रामीण आपूर्ति	
एल0एम0वी0-8	राजकीय नलकूप, पंचायतीराज नलकूप तथा पम्प कैनाल			राजकीय नलकूप, पंचायतीराज नलकूप तथा पम्प कैनाल	
	(1) मीटर सहित संयोजन			मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 330 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज	शहरी अरिफ की दरों पर 7.5 प्रतिशत कि छूट बिना टीओओडी0 दरों के साथ।
	इनर्जी चार्ज	रु0 8.50 प्रति यूनिट		इनर्जी चार्ज	
	(2) मीटर रहित संयोजन			राजकीय नलकूप, पंचायतीराज नलकूप तथा पम्प कैनाल	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 3300 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह		फिक्स्ड चार्ज (रु0 प्रति कि0वा0 प्रति माह)	रु 4450.00
एल0एम0वी0-9	अस्थायी संयोजन		एल0एम0वी0-9	अस्थायी संयोजन	
	(1) मीटर रहित संयोजन			(1) मीटर रहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 4750 प्रति दिन		फिक्स्ड चार्ज	रु0 4750.00
	क. सार्वजनिक प्रकाश, उद्घोषणा एवं समारोह (भार 20कि.वा. प्रति संयोजन तक एवं रु0 100/कि0वा0/दिन प्रत्येक अतिरिक्त कि0वा0 भार के लिए)			क. सार्वजनिक प्रकाश, उद्घोषणा एवं समारोह (भार 20कि.वा. प्रति संयोजन तक एवं रु0 100/कि0वा0/दिन प्रत्येक अतिरिक्त कि0वा0 भार के लिए)	
	ख. फिक्स्ड चार्ज: मेलों/ त्योहारों में अस्थायी दुकान (2कि.वा. भार तक)	रु0 560 प्रति दिन प्रति दुकान		ख. सार्वजनिक प्रकाश, उद्घोषणा एवं समारोह (भार 20कि.वा. प्रति संयोजन तक एवं रु0 100/कि0वा0 प्रत्येक अतिरिक्त कि0वा0 भार के लिए) (एक दिन से अधिक 15 दिनों तक) रु प्रति दिन	रु0 2500.00
				ग. फिक्स्ड चार्ज: मेलों/ त्योहारों में अस्थायी दुकान (2कि.वा. भार तक)	रु0 560.00
	ग. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ऐसे निजी नलकूप उपभोक्ता जिनको विद्युत की आवश्यकता रबी फसल के लिये है (माह नवम्बर से माह फरवरी तक)	रु0 500 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह		घ. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ऐसे निजी नलकूप उपभोक्ता जिनको विद्युत की आवश्यकता रबी फसल के लिये है (माह नवम्बर से माह फरवरी तक)	रु0 500 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन			(2) मीटर सहित संयोजन	
	(1) व्यक्तिगत आवासीय निर्माण हेतु			मीटर सहित उप श्रेणी समाप्त करके सम्बन्धित मूल श्रेणी में डाल दी गयी है। दर मूल श्रेणी का 125 प्रतिशत/150 प्रतिशत होगा।	
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 200 प्रति कि0वा0 प्रति माह			
	इनर्जी चार्ज	रु0 8.00 प्रति यूनिट, तृतीय वर्ष से आगे के लिए वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त			
	(2) अन्य				
	फिक्स्ड चार्ज	रु0 300 प्रति कि0वा0 प्रति माह			
	इनर्जी चार्ज	रु0 9.00 प्रति यूनिट, तृतीय वर्ष से आगे के लिए वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त			
	न्यूनतम चार्ज	रु0 450 प्रति कि0वा0/सप्ताह			
एल0एम0वी0-10	विभागीय उपभोक्ता		एल0एम0वी0-10	विभागीय उपभोक्ता	
	इस श्रेणी की दरें एल0एम0वी0-1 के अन्य मीटरड उपभोक्ताओं की भांति होंगी।			इस श्रेणी की दरें एल0एम0वी0-1 के अन्य मीटरड उपभोक्ताओं की भांति होंगी।	
एल0एम0वी0-11	इलेक्ट्रिक वैहिकल चार्जिंग		एल0एम0वी0-11	इलेक्ट्रिक वैहिकल चार्जिंग	
	1. घरेलू उपभोक्ता			1. घरेलू उपभोक्ता	
	एल0एम0वी0-1 से आच्छादित सभी मीटरड घरेलू उपभोक्ता अपने आवास पर अपनी इलेक्ट्रिक वैहिकल चार्ज करने के लिये अनुमत्य होंगे, बर्तत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर भार के कारण जुड़े/ अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।			एल0एम0वी0-1 से आच्छादित सभी मीटरड घरेलू उपभोक्ता अपने आवास पर अपनी इलेक्ट्रिक वैहिकल चार्ज करने के लिये अनुमत्य होंगे, बर्तत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर भार के कारण जुड़े/ अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।	
	2. बहुमंजिला इमारत (एल0एम0वी0-1बी एवं एच0वी0-1बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत)			2. बहुमंजिला इमारत (एल0एम0वी0-1बी एवं एच0वी0-1बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत)	
	एल. एम. वी- 1 बी.	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रु0 6.20 प्रति यूनिट		एल. एम. वी- 1 बी.	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रु0 6.20 प्रति यूनिट
	एच. वी. - 1 बी.	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रु0 5.90		एच. वी. - 1 बी.	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रु0 5.90
	3. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेथन			3. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेथन	
	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेथन (एल. टी.)	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रु0 7.70 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।		सार्वजनिक चार्जिंग स्टेथन (एल. टी.)	डिमाण्ड चार्ज- शून्य, इनर्जी चार्ज- रु0 7.70 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।
	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेथन (एच. टी.)	डिमाण्ड चार्ज-शून्य, इनर्जी चार्ज-रु0 7.30 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।		सार्वजनिक चार्जिंग स्टेथन (एच. टी.)	डिमाण्ड चार्ज-शून्य, इनर्जी चार्ज-रु0 7.30 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।
	4. अन्य उपभोक्ता			4. अन्य उपभोक्ता	
	अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं (एल0एम0वी0-2 (ए) मीटरड, एल0एम0वी0-2 (सी), एल0एम0वी0-4, एल0एम0वी0-6, एल0एम0वी0-7, एल0एम0वी0-8 (मीटरड), एल0एम0वी0-9(मीटरड), एच0वी0-1, (एल0एम0वी0-1बी एवं एच0वी0-1बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत बहुमंजिला इमारतों को छोड़कर) एच0वी0-2, एच0वी0-3 और एच0वी0-4) से उनकी सम्बन्धित श्रेणी के लिए लागू टैरिफ के अनुसार शुल्क लिया जाएगा या दूसरे शब्दों में ऐसे उपभोक्ताओं को अलग से विद्युत संयोजन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्युत उपभोक्ता अपने संयोजन के अन्तर्गत चार्जिंग कर सकते हैं, बर्तत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के भार के कारण जुड़े/अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।			अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं (एल0एम0वी0-2 (ए) मीटरड, एल0एम0वी0-2 (सी), एल0एम0वी0-4, एल0एम0वी0-6, एल0एम0वी0-7, एल0एम0वी0-8 (मीटरड), एल0एम0वी0-9(मीटरड), एच0वी0-1, (एल0एम0वी0-1बी एवं एच0वी0-1बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत बहुमंजिला इमारतों को छोड़कर) एच0वी0-2, एच0वी0-3 और एच0वी0-4) से उनकी सम्बन्धित श्रेणी के लिए लागू टैरिफ के अनुसार शुल्क लिया जाएगा या दूसरे शब्दों में ऐसे उपभोक्ताओं को अलग से विद्युत संयोजन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्युत उपभोक्ता अपने संयोजन के अन्तर्गत चार्जिंग कर सकते हैं, बर्तत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के भार के कारण जुड़े/अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।	

(ख)	इनर्जी चार्ज		(ख)	इनर्जी चार्ज	
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 8.50 प्रति के.वी.एच		आपूर्ति 11 के.वी. पर	रु0 8.50 प्रति के.वी.एच
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक तथा 66 के.वी. तक	रु0 8.40 प्रति के.वी.एच		आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक तथा 66 के.वी. तक	रु0 8.40 प्रति के.वी.एच
	आपूर्ति 66 के.वी. से अधिक 132 के.वी. तक	रु0 8.25 प्रति के.वी.एच		आपूर्ति 66 के.वी. से अधिक 132 के.वी. तक	रु0 8.25 प्रति के.वी.एच
(ग)	न्यूनतम चार्ज	रु0 1125 प्रति के.वी.ए. प्रति माह	(ग)	न्यूनतम चार्ज	रु0 1125 प्रति के.वी.ए. प्रति माह

नोट-

1. सरलीकरण प्रस्ताव मा0 आयोग को वर्ष 2020-21 के ए0आर0आर0 प्रस्ताव में प्रस्तुत बिलिंग डिटरमिनेन्ट तथा मा0 आयोग द्वारा पाचों वितरण निगमों हेतु अनुमोदित वर्तमान टैरिफ आदेश दिनांक 03.09.2019 पर आधारित है।
2. सभी पॉच वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु समेकित आधार पर टैरिफ श्रेणी सरलीकरण प्रस्ताव वर्ष 2020-21 के सम्पूर्ण राजस्व निष्प्रभावीकरण एवं मा0 आयोग द्वारा अनुमोदित वर्तमान टैरिफ पर आधारित है तथा यह वर्ष वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की 2020-21 के ए0आर0आर0 याचिकाओं में प्रस्तावित राजस्व अन्तर की पूर्ति नहीं करता है।
3. टैरिफ श्रेणी सरलीकरण प्रस्ताव वर्ष 2020-21 के लिए दर पुनरीक्षण प्रस्ताव नहीं है तथा कुछ श्रेणी/उपश्रेणी/स्लैब में प्रस्तावित परिवर्तन वर्ष 2020-21 के समेकित आधार पर राजस्व निष्प्रभावीकरण प्राप्ति के सीमित उद्देश्य हेतु है। दर पुनरीक्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय आयोग से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के इस सम्बन्ध में प्रस्तुत उत्तर के अनुसार विचार करने का अनुरोध किया गया है।

समस्त स्टैक-होल्डर, सामान्य जनता तथा सभी उपभोक्ता समय-समय पर लाइसेन्सी द्वारा संबंधित कार्यवाही हेतु प्रेषित आगामी अभिलेखों की अद्यतन जानकारी निगम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

सभी सम्बन्धित उपभोक्ता, संस्था, अनुज्ञप्तिधारक और सरकार के विभाग अपने प्रतिवेदन नोटराइज्ड शपथपत्र के साथ छह प्रतियों में जिसमें चार प्रति सचिव, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को तथा दो प्रतियों प्रबन्ध निदेशक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ-250001 को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों में प्रेषित कर सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0

राष्ट्रहित में बिजली बचायें